राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3969/2025

सुन्दर लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, भरतपुर उपखण्ड भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, डीग, जिला डीग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजकुमार गोयल, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय, भुल्लु की ढ़ाणी, भंडारा, कामां जिला डीग में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम अध्यापकों के चयन के बाद अधिशेष हुए अध्यापकों के समायोजन में अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, ऊँचेडा, कामां से राजकीय प्रारम्भिक विद्यालय भुल्लु की ढाणी भण्डारा कामां में समायोजन कर दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा ईमेल के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। भरतपुर से डीग जिला अलग होने की स्थिति में विभाग द्वारा जिला चयन के लिए मांगे गये विकल्पों में से अपीलार्थी ने जिला भरतपुर को चयन हेतु क्रमांक 402 एवं दिनांक 12.02.2024 (अनुलग्नक–3) को विकल्प पत्र भरा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विकल्प पत्र को अनदेखा करते हुए मनमाने तरीके से अपीलार्थी को माध्यमिक शिक्षा से पंचायती राज शिक्षा में समायोजन कर दिया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी की 6डी हो चुकी है। अगर अपीलार्थी को वापस पंचायती राज शिक्षा में भेजना है तो अपीलार्थी को पूर्व के अनुसार ही भरतपुर जिले में भेजा जाये। अपीलार्थी के माता–पिता काफी वृद्ध है, जो अकेले रहते है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में बाड़ी जिला धौलपुर में कार्यरत है। माता–पिता की सेवा करने वाला पर कोई नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार

फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को जिला भरतपुर में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–1 के पद पर प्रत्यर्थी विभाग को दिये गये विकल्प पत्र (अनुलग्नक–3) के अनुसार पदस्थ/समायोजन किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य